राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामेश्वर बनाम चाँदमल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	64/2016	
04/06/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित | उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे | अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो. की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत कर आदेश दिनांक 22/02/2006 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31/12/2025 पारित करते हुये दावे के निर्णय तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है एवं कानूनन एक रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार को उसकी कृषि जोत हेतु मौके की यथास्थिति के आदेश को पाबन्द किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | एक रिकार्डेड खातेदार अपनी कृषि जोत के मौके पर कानूनन अपनी गतिविधि कर सकता है एवं चूँकि विचाराधीन मूल प्रकरण घोषणा का है, ऐसेमें राजस्व रिकार्ड में होने वाले परिवर्तन को रोका जाना ही उचित होता है ताकि अन्तिम निस्तारण में कोई पेचीदगीयां नही रहे | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश की हद तक निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की हद तक अपीलाधीन आदेश को कायम रखा जाना न्यायोचित्त समझा जाता है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31/12/2025 को विवादग्रस्त भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखने की हद तक निरस्त किया जाकर विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की हद तक अपीलाधीन आदेश दिनांक 31/12/2025 को यथावत कायम रखा जाता है | तदनुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 04/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |	